



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 129010

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 24040 सन् 2026

रानी खरवार तथा 1 अन्य

.....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता :- मोहम्मद समीउज्जमां खान, तनवीर ज़फर खान, ज़ीशान खान

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ नंदन

1. श्री मोहम्मद समीउज्जमां खान, याचियों के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ प्रस्तुत की गई है:

"(i) राज्य प्रत्यर्थी संख्या 2 तथा 3 को प्रत्यर्थी संख्या 4 तथा 5 और उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध, याचियों के शांतिपूर्ण लिव-इन संबंध जीवन तथा लिव-इन-रिलेशनशिप के रूप में स्वतंत्रता में बाधा एवं विघ्न उत्पन्न करने हेतु, विधि के अंतर्गत उचित कार्यवाही करने का आदेश एवं निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(ii) प्रत्यर्थी संख्या 2 तथा 4 को भारत के संविधान के अंतर्गत गारंटीकृत याचियों के जीवन तथा स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि दोनों याची वयस्क हैं और विगत 1 वर्ष से लिव-इन संबंध में साथ रह रहे हैं। किंतु परिवार के सदस्य याचियों को निरंतर उत्पीड़ित कर रहे हैं तथा उनके वैवाहिक सामंजस्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं; अतः उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रतिष्ठापित अपने जीवन तथा स्वतंत्रता के संरक्षण की मांग करते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।
4. **ज्ञान देवी बनाम अधीक्षक नारी निकेतन दिल्ली तथा अन्य, (1976) 3 एससीसी 234** में सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि कोई लड़की वयस्क है, तो उसकी इस पसंद पर कि वह किस व्यक्ति के साथ रहेगी, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, न ही यह प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि उसे कहां रहना चाहिए; और यदि वह 18 वर्ष से अधिक आयु की है, तो वह विधिक रूप से सक्षम (सुई जूरिस) है। रिश्तेदार ऐसे मामले में याची के स्थान पर अपनी राय या पसंद को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।
5. **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2006) 5 एससीसी 475** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी अंतर्जातीय विवाहों पर विचार करते हुए इसका स्वागत किया और अभिनिर्धारित किया कि एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है, तो वह जिसे चाहे उससे विवाह कर सकता है।
6. उक्त निर्णय को **एस. खुशबू बनाम कन्नियम्मल तथा अन्य, (2010) 5 एससीसी 600** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भी बरकरार रखा गया; तथा यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक वयस्क लड़की जिसे चाहे उससे विवाह करने या "जिसके साथ चाहे उसके साथ रहने" हेतु स्वतंत्र है।
7. न्यायालय ने यह भी अभिनिरीक्षण किया कि सामाजिक नैतिकता की धारणाएं अंतर्निहित रूप से व्यक्तिपरक हैं तथा दांडिक विधि का उपयोग व्यक्तिगत स्वायत्तता के क्षेत्र में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। नैतिकता या अपराधीयता समान विस्तार की नहीं हैं (**संदर्भ: नंद कुमार तथा अन्य बनाम केरल राज्य तथा अन्य, (2018) 16 एससीसी 602**)।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. मामले के तथ्यों में यह स्पष्ट है कि दोनों याची वयस्क हैं तथा वर्तमान रिट याचिका के साथ प्रस्तुत शपथपत्र याचियों के संयुक्त शपथपत्र के रूप में है, और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता भी इस तथ्य पर विवाद नहीं करते कि दोनों याची वयस्क हैं; तदनुसार वर्तमान रिट याचिका को स्वीकृति के चरण में ही निस्तारित किया जा रहा है; किंतु यदि वर्तमान रिट याचिका के साथ प्रस्तुत शपथपत्र में कथित कोई तथ्य असत्य पाया जाता है, तो प्रत्यर्थागण के लिए पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत करना खुला रहेगा।
9. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका पक्षकारों की सहमति से निम्नलिखित निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है।
- (i) याची स्वतंत्र हैं कि वे साथ रहें और यदि कोई व्यक्ति उनके वैवाहिक जीवन या शांतिपूर्ण निवास में हस्तक्षेप करता है, तो याचीगण इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे, जो बिना किसी विलंब के याचियों को तत्काल संरक्षण प्रदान करेंगे।
- (ii) चूंकि याचियों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनानुसार कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत दर्ज नहीं की गई है, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश किसी भी प्रकार से विवाह की वैधता अथवा विवाह प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो, की सत्यता के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करता है।
10. उपर्युक्त अभिनिरीक्षण तथा निर्देश के साथ, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

(श्री सिद्धार्थ नंदन, न्यायमूर्ति)

24 जून, 2026

एस.प्रकाश